पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधिकार में

दीवानी याचिका क्षेत्राधिकार वाद संख्या **7120/2023**

एम/एस सुरेश प्रसाद अरविंद कुमार का पता भवानी मार्केट, पटेल पथ, रक्सौल, पूर्वी चंपारण-845305, बिहार में है, इसके मालिक श्री सुरेश प्रसाद (एम) के माध्यम से, जिनकी आयु लगभग 61 वर्ष है, जो श्रीराम पथ, कोइराला रक्सौल, पूर्वी चंपारण 845305, बिहार के निवासी यंडव बल के पुत्र हैं।

.... याचिकाकर्ता/गण

बनाम्

1. बिहार राज्य आयुक्त सह सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से
2. केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, पटना के आयुक्त का कार्यालय नए सचिवालय, पटना, बिहार में है।
3. राज्य कर के संयुक्त आयुक्त, तिरहुत प्रभाग, मुज़फ़्फ़रपुर, ज़िला मुज़फ़्फ़रपू, बिहार
4. राज्य कर (अपील) के अतिरिक्त आयुक्त, तिरहुत प्रभाग, मुजफ्फरपुर, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार
5. सहायक राज्य कर आयुक्त, तिरहुत प्रभाग, मुज़फ़्फ़रपुर, ज़िला मुज़फ़्फ़रपुर, बिहार
6. पंजाब नेशनल बैंक, बेलवा (पूर्वी चंपारण) शाखा, इसके माध्यम से शाखा प्रबंधक, बेलवा, जिला।पूर्वी चंपारण, बिहार-845301
7. एक्सिस बैंक, रक्सौल शाखा, इसके माध्यम से शाखा प्रबंधक, रक्सौल, जिला।पूर्वी चंपारण, बिहार-845305

.... उत्तरदाता/गण

उपस्थितिः

याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तओं के लिएः	श्री आलोक कुमार सिन्हा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी/ओं के लिएः	श्री विकास कुमार, एससी 11
पीएनबी के लिएः	श्री मृत्युंजय कुमार, अधिवक्ता
	श्री विभूति कुमार, अधिवक्ता

गणपूर्तिः माननीय मुख्य न्यायाधीश

और

माननीय न्यायाधीश श्री पार्थ सारथी

मौखिक आदेश

(द्वाराः माननीय मुख्य न्यायाधीश)

3 11-07-2023 तत्काल रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर की गई है जिसमें विभिन्न राहतों की मांग की गई है।

याचिकाकर्ता अनिवार्य रूप से, आक्षेपित आदेश के विरूद्ध बिहार वस्तु और सेवा कर अधिनियम (अब से बी०जी०एस०टी० कहा जाएगा) के धारा 112 के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण (अब से न्यायाधिकरण सम्बोधित किया जाएगा) से अपील का सांविधिक उपचार पाने का इच्छुक है।

हालाँकि, न्यायाधिकरण के गैर-गठन के कारण, याचिकाकर्ता B.G.S.T की धारा 112 की उप-धारा (8) और उप-धारा (9) के तहत अपने वैधानिक उपचार से वंचित है।

इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता को धारा 112 की उप-धारा (8) के तहत विचार की गई राशि जमा करने पर अधिनियम की धारा 112 (8) और (9) के संदर्भ में कर की शेष राशि की वसूली पर रोक का लाभ उठाने से भी रोका गया है।

प्रतिवादी राज्य के अधिकारियों ने न्यायाधिकरण के गैर-गठन के तथ्य को स्वीकार किया है और आदेश सं. राज्य कर, एस. ओ. 399, दिनांक 11.12.2019 कठिनाइयों को दूर करने के लिए, B.G.S.T अधिनियम की धारा 172 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जो यह प्रावधान करता है कि धारा 112 के तहत न्यायाधिकरण के समक्ष अपील करने के उद्देश्य से सीमा की अवधि उस तारीख के बाद ही शुरू होगी जिस दिन राष्ट्रपति, या राज्य अध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, 2023 (3) डीटी के पटना उच्च न्यायालय सीडब्ल्यूजेसी के तहत न्यायाधिकरण के गठन के बाद शुरू होगा।

B.G.S.T अधिनियम की धारा 109 कार्यालय में प्रवेश करती है। इसलिए, यह न्यायालय निम्नलिखित शर्तों में तत्काल रिट याचिका का निपटारा करने के लिए इच्छुक हैः

(i) विवाद में कर की शेष राशि के 20 प्रतिशत के बराबर राशि जमा करने के अधीन, यदि पहले से जमा नहीं की गई है, तो B.G.S.T की धारा 107 की उप-धारा (6) के तहत पहले जमा की गई राशि के अलावा। अधिनियम, याचिकाकर्ता को B.G.S.T की धारा 112 की उप-धारा (9) के तहत रोक का वैधानिक लाभ दिया जाना चाहिए। स्वयं प्रत्यर्थियों द्वारा न्यायाधिकरण का गठन न किए जाने के कारण याचिकाकर्ता को लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है।इस प्रकार शेष राशि की वसूली और इस संबंध में उठाए गए किसी भी कदम पर रोक माना जाएगा।यह विवाद में नहीं है कि इस न्यायालय द्वारा इसी

तरह की राहत एस. ए. जे. फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम बिहार राज्य और अन्य CWJC No. 15465/2022 में दी गई है।

(ii) वैधानिक राशि जमा करने पर रोक की वैधानिक राहत, हालांकि इस न्यायालय की राय में, खुली नहीं हो सकती है। इक्विटी को संतुलित करने के लिए, इसलिए, न्यायालय की राय है कि चूंकि प्रतिवादी-अधिकारियों द्वारा न्यायाधिकरण के गैर-गठन के कारण आदेश पारित किया जा रहा है, इसलिए याचिकाकर्ता को B.G.S.T की धारा 112 के तहत अपनी अपील प्रस्तुत/दायर करने की आवश्यकता होगी। जैसे ही, एक बार जब न्यायाधिकरण का गठन हो जाता है और इसे कार्यात्मक बना दिया जाता है और राष्ट्रपति या राज्य अध्यक्ष कार्यालय में प्रवेश कर सकते हैं।अपील पर विचार करने की सुविधा के लिए न्यायाधिकरण के अस्तित्व में आने के बाद वैधानिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपील दायर करने की आवश्यकता होगी।

(iii) यदि याचिकाकर्ता B.G.S.T. कानून की धारा 112 के तहत् कोई अपील दायर करके अपील के उपाय का लाभ नहीं उठाना चाहता है। जो न्यायाधिकरण के समक्ष अधिनियम उस अवधि के भीतर जो न्यायाधिकरण के गठन पर निर्दिष्ट की जा सकती है, प्रत्यर्थी-अधिकारी कानून के अनुसार मामले में आगे बढ़ने के लिए स्वतंत्र होंगे।

(iv) यदि उपरोक्त आदेश का पालन किया जाता है और विवाद में कर की शेष राशि के 20 प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान किया जाता है, तो यदि मांग के अनुसार याचिकाकर्ता के बैंक खाते में कोई कुर्की होती है, तो उसे जारी कर दिया जाएगा।

उपरोक्त स्वतंत्रता, अवलोकन और निर्देशों के साथ, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(के. विनोद चंद्रन, मुख्य न्यायाधीश)

(पार्थ सारथी, न्यायमूर्ति)

खण्डन (डिस्क्लेमर) :– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
Civil Writ Jurisdiction Case No.7120 of 2023

M/s Suresh Pd. Arvind Kumar Having its address at Bhawani Market, Patel Path, Raxaul, East Champaran-845305, Bihar, Through its Proprietor Mr. Suresh Prasad (M) aged about 61 years, son of Yandav Bal resident of Sriram Path, Koiriya Tola Raxaul, East Champaran 845305, Bihar

... ... Petitioner/s

Versus

1. The State of Bihar through the Commissioner Cum Secretary, Commercial Tax Department, Government of Bihar, Patna
2. The Commissioner of Central Goods and Services Tax and Central Excise, Patna having office at New Secretariat, Patna, Bihar
3. The Joint Commissioner of State Tax, Tirhut Division, Muzaffarpur, District Muzaffarpu, Bihar
4. The Additional Commissioner of State Tax (Appeal), Tirhut Division, Muzaffarpur, District Muzaffarpur, Bihar
5. The Assistant Commissioner of State Tax, Tirhut Division, Muzaffarpur, District Muzaffarpur, Bihar
6. The Punjab National Bank, Belwa (East Champaran) Branch, Through it Branch Manager, Belwa, Distt. East Champaran, Bihar-845301
7. The Axis Bank, Raxaul Branch, through it Branch Manager, Raxaul, Distt. East Champaran, Bihar-845305

... ... Respondent/s

Appearance :

For the Petitioner/s	:	Mr. Alok Kumar Sinha, Advocate
For the Respondent/s	:	Mr. Vikash Kumar, SC 11
For the PNB	:	Mr. Mritunjay Kumar, Advocate
		Mr. Vibhuti Kumar, Advocate

CORAM: HONOURABLE THE CHIEF JUSTICE
and
HONOURABLE MR. JUSTICE PARTHA SARTHY

ORAL ORDER

(Per: HONOURABLE THE CHIEF JUSTICE)

3 11-07-2023 The instant writ petition has been filed under Article 226 of the Constitution of India seeking multifarious reliefs.

The petitioner essentially is desirous of availing

WEB COPY

statutory remedy of appeal against the impugned order before the ***Appellate Tribunal*** (hereinafter referred to as ***"Tribunal"***) under Section 112 of the Bihar Goods and Services Tax Act (hereinafter referred to as "B.G.S.T. Act").

However, due to non-constitution of the ***Tribunal***, the petitioner is deprived of his statutory remedy under Sub-Section (8) and Sub-Section (9) of Section 112 of the B.G.S.T. Act.

Under the circumstances, the petitioner is also prevented from availing the benefit of stay of recovery of balance amount of tax in terms of Section 112 (8) and (9) of the B.G.S.T Act upon deposit of the amounts as contemplated under Sub-section (8) of Section 112.

The respondent State authorities have acknowledged the fact of non-constitution of the ***Tribunal*** and come out with a notification bearing Order No. 09/2019-State Tax, S. O. 399, dated 11.12.2019 for removal of difficulties, in exercise of powers under Section 172 of the B.G.S.T Act, which provides that period of limitation for the purpose of preferring an appeal before the ***Tribunal*** under Section 112 shall start only after the date on which the President, or the State President, as the case may be, of the ***Tribunal*** after its constitution under

WEB COPY

Section 109 of the B.G.S.T Act, enters office.

This Court is, therefore, inclined to dispose of the instant writ petition in the following terms:-

(i) Subject to deposit of a sum equal to 20 percent of the remaining amount of tax in dispute, if not already deposited, in addition to the amount deposited earlier under Sub-Section (6) of Section 107 of the B.G.S.T. Act, the petitioner must be extended the statutory benefit of stay under Sub-Section (9) of Section 112 of the B.G.S.T. Act. The petitioner cannot be deprived of the benefit, due to non- constitution of the Tribunal by the respondents themselves. The recovery of balance amount, and any steps that may have been taken in this regard will thus be deemed to be stayed. It is not in dispute that similar relief has been granted by this Court in the case of *SAJ Food Products Pvt. Ltd. vs. The State of Bihar & Others* in *C.W.J.C. No. 15465 of 2022.*

(ii) The statutory relief of stay, on deposit of the statutory amount, however in the opinion of this Court, cannot be open ended. For balancing the equities, therefore, the Court is of the opinion that since order is being passed due to non-constitution of the Tribunal by the respondent-Authorities, the petitioner would be required to present/file his appeal under Section 112 of the B.G.S.T. Act, once the Tribunal is constituted and made functional and the President or the State President may enter office. The appeal would be required to be filed observing the statutory requirements after coming into existence of the Tribunal, for facilitating consideration of the appeal.

(iii) In case the petitioner chooses not to avail the remedy of appeal by filing any appeal under

WEB COPY

Section 112 of the B.G.S.T. Act before the Tribunal within the period which may be specified upon constitution of the Tribunal, the respondent- Authorities would be at liberty to proceed further in the matter, in accordance with law.

(iv) If the above order is complied with and a sum equivalent to 20 per cent of the remaining amount of the tax in dispute is paid then, if there is any attachment of the bank account of the petitioner pursuant to the demand, the same shall be released.

With the above liberty, observation and directions, the writ petition stands disposed of.

(K. Vinod Chandran, CJ)

(Partha Sarthy, J)

Bibhash/Saurabh

U			

WEB COPY